तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] जारी हु[illegible]
28/5/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 29/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी	
29/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 6/6/22 को पेश हो।	
6/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर [illegible] कार्यों में व्यस्त है। अतः [illegible] होकर पत्रावली आइन्दा 12/7/22 को [illegible]	
12/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील वादीगण द्वारा वह वाद पत्र 21/09/20 को दर्ज करवाया गया था। लगभग 2 वर्षों की लम्बी अवधि तक समय दिए जाने के [illegible] प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं [illegible] उपरोक्त प्रकरण तलबी [illegible] के आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर गुढ़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय,
गुडामालानी ।

वादीगणः—

1. जसीदेवी पत्नी दुर्गाराम उम्र 35 वर्ष
2. धनी पुत्री दुर्गाराम उम्र 17 वर्ष
3. मोहनी पुत्री दुर्गाराम उम्र 12 वर्ष
4. छोगाराम पुत्र श्री दुर्गाराम उम्र 14 वर्ष

   नाबालिग वादी संख्या 2 , 3, 4 की कुदरति वलिदा उसकी माता वादी सं.1 कौम जाट साकिन रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. खरता पुत्र श्री हरचंद उम्र 50 वर्ष
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी
2. मालाराम पुत्र श्री पाबुराम उम्र 40 वर्ष
   जाति जाट निवासी जाणियो की ढाणी बोर
   तहसील धोरीमन्ना
3. हेमाराम पुत्र आईदानराम उम्र 50 वर्ष
   जाति जाट निवासी पाबुबेरा
4. शेराराम पुत्र श्री डूगराराम उम्र 55 वर्ष
   कौम जाट साकिन पाबुबेरा तहसील धोरीमन्ना
5. चैनाराम पुत्र श्री मालाराम उम्र [illegible]
   कौम जाट साकिन सगराणियो की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88 188 रा0 का0 अधिनियम

महोदयजी

वादीगण का वाद निम्न प्रकार से है :–

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम का सयुक्त खातेदारी के खेत जिला बाडमेर तहसील गुडामलानी पटवार मण्डल पीपराली के ग्राम रामजी का गोल फांटा के खेत खसरा नम्बर 449/2 रकबा 16–03 बीघा किस्म बारानी दोयम मे वादीगण का थोक 223/646 हिस्सा व खसरा नम्बर 559/8 , 559/9 , 887 रकबा क्रमश 0–07, 0–08, 37–19 बीघा कुल रकबा 38–14 बीघा किस्म क्रमश गैर मु0 आवास , गैर मु0 आवास , बारानी दोयम मे वादीगण का थोक 1/3 हिस्सा वादीगण के हक आया हुआ है , तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है । उपरोक्त विवादित

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested

आराजी के पक्षकारान रेकर्डेड खातेदार है । जिसकी नकल जमाबंदी चौसाला एवं नक्शा ट्रेस की संवत 2071–2074 की प्रमाणित प्रति सलग्न है ।

2. कि वादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम रामजी का गोल फांटा के खेत खसरा नम्बर 449/2 रकबा 16–03 बीघा मे वादीगण का थोक 223/646 हिस्सा व खसरा नम्बर 559/8, 559/9, 887 रकबा क्रमश 0–07, 0–08, 37–19 बीघा कुल रकबा 38–14 बीघा मे वादीगण का थोक 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण खातेदार से जरिये विभाजन व घोषणा करवाना चाहता है । वादीगण एवं प्रतिवादी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है इसलिऐ यह वाद घोषणा का श्रीमानजी के समक्ष पैश है । तथा वादीगण एवं प्रतिवादी का मौके पर रेकर्डेड हिस्सें अनुसार बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है । इसी कब्जे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के बिच में बहामी तोर से बंटवारा किया हुआ है । तथा वादीगण के उपरोक्त विवादित आराजी मे प्रत्येक खसरे मे मौके कब्जे अनुसार काबिज है तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार वादी प्रत्येक खसरे मे अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है तथा वादीगण के हिस्से मे आई रेकर्ड अनुसार भूमि का विभाजन करवाकर अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है । इस हेतु उक्त वाद वास्ते विभाजन का श्रीमानजी के समक्ष पैश है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested